

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्दादाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 08/2020

गण-

1. जीवणसिंह
2. भोपाल सिंह
3. हमीरसिंह पुत्रगण हरीसिंह
जातियान-रावणा राजपूत निवासीगण- गुगरियाली, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

वादीगण -

1. दशरथसिंह पुत्र हरिसिंह
जाति-रावणा राजपूत निवासी-गुगरियाली, तहसील जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :-

1. श्री दशरथ सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री दशरथ सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिव मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता व प्रतिवादी 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि - तहसीलदार जायल पक्षकारान की उपस्थिति में विवादग्रस्त खेत खसरा नं. 324,987/324,983/324,985/324 ग्राम गुगरियाली तहसील जायल के विभाजन बावत् राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त पत्रांक: रा. म./न्याय/स्था./प-51/2008/विविध/10546/05.10.2020 की पालना सुनिश्चित करते हुये दो प्रतियों में तैयार कर आगामी तारीख पेशी 10/09/2021 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।



02/8/2021
(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)